

B

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 106] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1983/चैत्र 9, 1905
No. 106] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1983/CHAITRA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 91/83-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1983

सा. का. नि. 287(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है,

भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 198-सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 2 में “31 मार्च, 1983” और शब्द के स्थान पर “31 मार्च, 1985” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 355/49/83-सीमाशुल्क-1]

एन. ससीधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 91/83-CUSTOMS

New Delhi, the 30th March, 1983

G.S.R. 287(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 198-Customs dated 2nd August, 1976, namely :—

In the said notification in paragraph 2, for the figures, letters and words “31st day of March, 1983”, the figures, letters and words “31st day of March, 1985” shall be substituted.

[F. No. 355/49/83-Cus. II]

N. SASIDHARAN, Under Secy.